कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-19-03-2025

KIA MOTORS की एजेंसी दिलाने के नाम पर लगभग 72 लाख रूपये की साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना सहित 09 अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधियों के विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत।

आवेदक श्री तेजश्वी शुक्ला निवासी गौरीगंज,थाना -भेलूपूर ,वाराणसी,उत्तर प्रदेश के साथ अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा KIA MOTORS कम्पनी के नाम से फर्जी बेवसाइट/ईमेल के माध्यम से एजेन्सी दिलाने के नाम पर कुल करीब 72 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गयी थी जिस पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. – 0063/2024 धारा- 417, 420, भा.द.वि. व 66 डी. आई.टी. एक्ट पंजीकृत कर विवेचना/जांच के पश्चात् कुल 10 साइबर अपराधियों को गिफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, निवर्तमान में उपरोक्त जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है तथा उनके पास से निम्नलिखित बरामदगी की गयी थी-

1. मल्टीमीडिया एण्ड्राइड/आईओएस मोबाइल फोन - 19 अदद (कीमत करीब 20 लाख रूपये)।
2. इंटरनेट डोंगल - 01 अदद,
3. लैपटाप- 01 अदद।
4. बैंक डेबिट कार्ड – 21 अदद।
5. सिम कार्ड – 04 अदद।
6. फर्जी बैंक खातो आदि की हिसाब किताब डायरी- 01 अदद।
7. पेमेन्ट इन्वाइस की प्रति सम्बन्धित किया मोटर्स कम्पनी (फर्जी व कूट रचित) -03 अदद,
8. इंटेन्ट लेटर व इनलिस्टमेन्ट लेटर सम्बन्धित किया मोटर्स कम्पनी (फर्जी व कूट रचित) -01 अदद
9. मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित नगदी- 53,360 रूपये।

उपरोक्त के संबन्ध में जांच आदि से प्रकाश में आया कि अभियुक्त प्रियरंजन कुमार उपरोक्त का एक संगठित आपराधिक गिरोह है जिसके द्वारा अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक व अनुचित लाभ हेतु साइबर अपराध करते है तथा आम जनमानस को अपने बातों में उलझाकर धोखे उनकी निजी जानकारी लेकर फर्जी कागजातों के आधार पर लाखों रूपये का साइबर अपराध करते है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्री मोहित अग्रवाल पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी एवं श्री प्रमोद कुमार पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में तथा श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट वाराणसी व श्री विजय प्रताप सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के नेतृत्व मे एक टीम का गठन कर उपरोक्त प्रकरण व साइबर अपराधियों के जांच कर कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था , जिसके क्रम में –

1-दीपक कुमार पुत्र राजकिशोर प्रसाद उम्र- 21 वर्ष निवासी- दशरथपुर, पोस्ट- पावापुरी, थाना- गिरियक , जिला -नालन्दा बिहार पिन नं.- 803115, स्थायी पता- ग्राम पलटपुर, पो0 कटौना, थाना कतरी सराय, जनपद- नालंदा बिहार।

2-प्रभाकर कुमार उर्फ चिकू पुत्र जितेन्द्र प्रसाद उम्र- 26 वर्ष निवासी- दशरथपुर, पोस्ट- पावापुरी, थाना- गिरियक ,जिला -नालन्दा बिहार पिन नं.- 803115।

3-हिमांशु राज पुत्र कृष्ण कुमार उम्र- 19 वर्ष निवासी- सरबहदी, पोस्ट- सरबहदी, थाना -मानपुर , जनपद- नालन्दा बिहार पिन- 803107।

4-सौरव कुमार पुत्र रंजीत प्रसाद उम्र- 22 वर्ष निवासी- दशरथपुर, पोस्ट- पावापुरी, थाना- गिरियक ,जिला -नालन्दा बिहार पिन नं.- 803115

5-आलोक कुमार पुत्र मृत्युन्जय कुमार उर्फ सुनील उम्र- 23 वर्ष निवासी- दशरथपुर, पोस्ट- पावापुरी, थाना- गिरियक ,जिला -नालन्दा बिहार पिन नं.- 803115

6-प्रियरंजन कुमार पुत्र प्रभुप्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम रघुबिगहा निकट हनुमान मंदिर दक्षिण टोला थाना नालंदा जनपद नालंदा बिहार उम्र 28 वर्ष

7-सत्येन्द्र सुमन उर्फ नेताजी पुत्र भरत प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम रघुबिगहा निकट हनुमान मंदिर दक्षिण टोला थाना नालंदा जनपद नालंदा बिहार उम्र 26 वर्ष

8-रंजन कुमार पुत्र उमेश प्रसाद कुशवाहा निवासी नियामत नगर थाना सिलाव जनपद नालंदा बिहार उम्र 22 वर्ष

9-रमेश सिंह भूटोला पुत्र स्व0 मंगद सिंह भुटोला निवासी ए0205 चन्द्र बिहार गली नम्बर 12 भद्रावली फाजिलपुर थाना मधुबिहार ईस्ट दिल्ली उम्र 46 वर्ष मूलपता ग्राम गंघारी थाना रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग उत्तराखंड

के विरूद्ध थाना - कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी पर मु.अ.सं. - 0182/2025 धारा- 3(1) उ.प्र. गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण के द्वारा सामूहिक रुप से मुकदमा उपरोक्त में आपराधिक षडयन्त्र के तहत योजनापूर्वक KIA MOTORS कम्पनी के नाम की फर्जी वेबसाइट/ईमेल बनायी गई तथा इस बेवसाइट/ईमेल के माध्यम से वादी मुकदमा को अपने झांसे में फसाने के लिए KIA MOTORS कम्पनी के फर्जी REPRESENTATIVE बनकर एजेन्सी दिलाने के बाबत फर्जी व कूट रचित दस्तावेज जैसे इनलिस्टमेन्ट लेटर, इन्टेन्ट लेटर आदि भेजा गया तथा तथाकथित KIA MOTORS कम्पनी के बैंक खाते में रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी, जीएसटी फीस आदि का हवाला देते हुए पैसा विभिन्न खातों में डलावाया गया जिसका फर्जी KIA MOTORS COMPANY के लेटर हेड पर फर्जी INVOICE भेज कर वादी मुकदमा को अपने झांसे में लेकर साइबर ठगी की गयी। अभियुक्तगण द्वारा यह कार्य योजनबद्ध तरीके से आपराधिक षडयंत्र के तहत शामिल रहकर अपना अपना कार्य जैसे वेवसाइट /ई-मेल से लीड प्राप्त करना, पीड़ितो को काल करना, फर्जी सिम व म्यूल बैंक खातों का प्रबन्ध करना व इंटरनेट बैंकिंग का संचालन कर पैसे ट्रासफर करना , ए.टी.एम. के माध्यम से निकासी करना आदि किया गया है। ठगे गये पैसों को अपने कार्य अनुसार आपस में बांट लिया गया है , अभियुक्तगण काफी शातिर किस्म के चालाक व तकनीकि रूप से दक्ष व अभ्यस्थ साइबर अपराधी है तथा साइबर अपराध करने के तौर तरीको से भली भाति परिचित है, ये लोग अपनी पहचान छिपाने व पुलिस के पहुंच से दूर रहने के उद्देश्य से फर्जी सिम कार्ड व म्यूल बैंक खातों का प्रयोग करते है।

आपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं.-0063/2024 धारा- 417,420,120बी,465,468,471, 411 भादवि व 66 सी, 66 डी, 74 आई.टी. एक्ट, साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी (सभी 10 अभियुक्तगण के विरूद्ध)

2. मु.अ.सं. -0652/2023 धारा- 419,420 भादवि. में थाना पत्रकार नगर, पटना, बिहार (सौरव ,आलोक)।

3. मु.अ.सं. -0103/2022 धारा 420, 467, 468, 471, 474, 120बी भादवि 66सी आई0टी0 एक्ट थाना हवाई अड्डा पटना बिहार। (प्रियरंजन कुमार व रंजन कुमार)।

4. मु.अ.सं. -0182/2025 धारा- उ.प्र. गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986, थाना- कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी। (09 अभियुक्तगण के विरूद्ध)

सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम का विवरणः-

श्री राजीव कुमार सिंह – प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
श्री राज कुमार - प्रभारी निरीक्षक, थाना- कैंट , कमिश्नरेट वाराणसी।
उ.नि. श्री सतीश सिंह - साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
उ.नि. श्री संजीव कन्नौजिया- साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
क.आ.ग्रेड बी/ए.एस.आई श्री श्याम लाल गुप्ता- साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
हे.का. गौतम कुमार - साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
हे.का. गोपाल चौहान- साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
का. चन्द्रशेखर यादव - साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
का. देवेन्द्र यादव - साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
का. अवनीश सिंह- साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
का. दिलीप कुमार - साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
का. पृथ्वी राज सिंह- साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
का. अंकित कुमार प्रजापति - साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
हे.का. अखिलेश कुमार - थाना- कैंट , कमिश्नरेट वाराणसी।
का. पंकज कुमार - थाना- कैंट , कमिश्नरेट वाराणसी।
का. शाश्वत शुक्ला - थाना- कैंट , कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।